तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 11/2021 जीसीएमएस : 2021/57 लिछमा देवी आदि बनाम तेजपाल आदि वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53,188 राज. काश्त. अधि.	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
30.06.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। बहस वकील वादी पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण लिछमा देवी और हरबन्स सिंह ने प्रतिवादीगण तेजपाल आदि के विरूद्ध वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण और प्रतिवादीगण के नाम से संयुक्त खाता में चक 19 एसडी खाता सं. 91 में मु.नं. 71,89,88 की कुल 11.563है. कमाण्ड/अ.क. मय खाला भूमि खातेदार दर्ज रिकार्ड है जिसमें वादी लिछमा देवी का 2336/11563 और हरबन्स सिंह का 7709/11563 हिस्सा दर्ज है शेष भूमि प्रतिवादीगण के नाम से है। वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से उक्त संयुक्त खाता की उक्त भूमि का मौखिक रूप से विभाजन कर लिया जिसके अनुसार वादी संख्या 1 के कब्जा काश्त में चक 19 एस.डी. का प.नं. 125/413 मु.नं. 71 का किला नं. 24 में 0.116 है., 25 में 0.228 है. = 0.344 है., प.न. 126/414 मु.नं. 89 का किला नं. 1/1 में 0.228 है., 2 ता 5 में 1.012 है., 6 में 0.085 है., 7, 8 में 0.506 है., 9 में 0.085 है., 10 में 0.076 है. = 1.992 है. इस प्रकार कुल 2.336 है. कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला व वादी संख्या 2 के कब्जा काश्त में चक 19 एस.डी. का प.नं. 125/413 मु.नं. 71 का किला नं. 22, 23 में 0.506 है., 24 में 0.137 है., 25 में 0.025 है. = 0.668 है., प.नं. 126/414 मु.नं. 89 का किला नं. 6 में 0.168 है., 9 में 0.168 है., 10 में 0.152 है., 11/1 में 0.228 है., 12 ता 20 में 2.277 है., 22 ता 25 में 1.012 है. = 4.005 है., प.नं. 127/414 मु.नं. 88 का किला नं. 7 ता 18 में 3.036 है. कुल 7.709 है. कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी रकबा आया। जिस पर वादीगण आरम्भ से ही काबिज होकर काश्त कर रहे है। वादीगण ने अपने कब्जा काश्त की उक्त कृषि भूमि को अपना मानते हुए इसमें अपना अथाह परिश्रम व धन खर्च कर भूमि को कृषि योग्य व उपजाऊ बनाया और इसमें अनेक प्रकार की सुविधाएं स्थापित की। वादीगण ने वाद पत्र के माध्यम से मुख्य अनुतोष उक्त विभाजन एवं स्वयं के कब्जा काश्त अनुसार किलेवाईज विभाजन कर वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन का चाहा है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। साक्ष्य वादी में शपथ पत्र लिछमा देवी व हरबन्स सिंह का पेश हुआ है। विवादित भूमि की जमाबंदी चक 19 एसडी खाता सं. 91 को प्रदर्श करवाया गया है। विवादित भूमि में [illegible] सह खातेदार है जिस कारण खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है। [illegible] के द्वारा विशिष्ट किलाजात का वि[illegible] प्र[illegible]दीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही [illegible] की ओर से कोई एतराज व आ[illegible] प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए राजस्व अधिकारी से विभा[illegible] प्रस्ताव मंगवाने की आवश्यक्ता नहीं है। वाद पत्र स्वीकार [illegible] वादीगण द्वारा वांछित विभाजन के अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाना उचित है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में सह खातेदार का नाम हरबन्श शिंह पुत्र करनेल सिंह दर्ज है जो कि बैंक के पक्ष में राहिन भी है। वादी द्वारा वाद पत्र में तथा शपथ पत्र में नाम हरबन्स सिंह पुत्र करनैल सिंह अंकित किया गया है। खाता विभाजन के वाद में नाम की	

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:46:34 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 11/2021 जीसीएमएस : 2021/57 लिछमा देवी आदि बनाम तेजपाल आदि वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53,188 राज. काश्त. अधि.	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये

दुरूस्ती का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रविष्ठि अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन यथावत रखा जाना उचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाता और डिक्री दी जाती है कि –

"वादीगण और प्रतिवादीगण के नाम से संयुक्त खाता दर्ज विवादित भूमि चक 19 एसडी खाता सं. 91 में मु.नं. 71,89,88 की कुल 11.563है. कमाण्ड/अ.क. मय खाला भूमि में वादीगण का राजस्व रिकार्ड में दर्ज उनके हिस्सानुसार प्रतिवादीगण से निम्नलिखित अनुसार किलेवाईज विभाजन कर वादीगण को उनके नाम के सम्मुख अंकित भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है :–

1	वादी सं. 1 लिछमा देवी पत्नी मोहनलाल हिस्सा 2336/11563	चक 19 एस.डी. का प.नं. 125/413 मु.नं. 71 का किला नं. 24 में 0.116 है, 25 में 0.228 है. = 0.344 है., प.न. 126/414 मु.नं. 89 का किला नं. 1/1 में 0.228 है., 2 ता 5 में 1.012 है., 6 में 0.085 है., 7, 8 में 0.506 है., 9 में 0.085 है., 10 में 0.076 है. = 1.992 है. इस प्रकार कुल 2.336 है. कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला
2	वादी सं. 2 हरबन्श सिंह पुत्र करनेल सिंह हिस्सा 7709/11563	चक 19 एस.डी. का प.नं. 125/413 मु.नं. 71 का किला नं. 22, 23 में 0.506 है., 24 में 0.137 है., 25 में 0.025 है. = 0.668 है., प.नं. 126/414 मु.नं. 89 का किला नं. 6 में 0.168 है., 9 में 0.168 है., 10 में 0.152 है., 11/1 में 0.228 है., 12 ता 20 में 2.277 है., 22 ता 25 में 1.012 है. = 4.005 है., प.नं. 127/414 मु.नं. 88 का किला नं. 7 ता 18 में 3.036 है. कुल 7.709 है. कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला

उपर्युक्त विभाजन अनुसार वादीगण के नाम से पृथक–2 खाता में भूमि खातेदारी दर्ज कर विवादित भूमि की किस्म/प्रकृति, राहिन तथा अन्य अंकन यथावत रहेगा। शेष खाता की भूमि प्रतिवादीगण के नाम से संयुक्त खाता में यथावत रहेगी। पर्चा डिक्री जारी हो। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:46:34 IST
Reason: SelfAttested

शकुन्तला
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर